न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिलकुमार जैन

प्रकरण सख्याः—35/20 निर्णय दिनांकः—19.01.2021

1 श्री अमित पिता लसु पारगी जाति मीणा नाबलिंग की वली माता जरीए संरक्षक श्रीमती कमला पारगी पत्नि लसु पारगी जाति भील उम्र वयस्क निवासी भादर तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. श्री मान तहसीलदार साहब महोदयजी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम व सपठित धारा 212 जाप्ता दीवानी

अधिवक्ता वादीः— बालगोविन्द पाटीदार उपस्थित

अधिवक्ता प्रतिवादीः—

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीया गांव भादर तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है। मेहनत मजदुरी व कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। वादीया व उसके नाबालिंग पुत्र अमीत पिता लसु पारगी के कब्जे में काश्त की रिकॉर्डडेड खातेदारी आराजी ग्राम भादर में खाता संख्या 927, खसरा नम्बर क्रमशः 112 खेत किता 1 कुल रकबा 1.5297 हैक्टेयर में 1/32 हिस्सा होकर स्थित है। जिस पर वादीया का कब्जा होकर खेती का कार्य किया जा रहा है। और अब वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादीया का यथावत रूप से बना हुआ है। वादीया ने अपने कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर लोन लेने हेतु वादीया ने खाते की जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की पति लसु की मृत्यु के पश्चात हाल जमाबन्दी में वादीया व उसके पुत्र अमीत, मुकेश, महिपाल पिता लसु का नाम दर्ज किया जाना था। लेकिन वादीया के पुत्र अमीत के नाम स्थान पर अनिल बालिंग दर्ज कर दिया है। जबकि वादीया ने अपने पति के मृत्यु के पश्चात कृषि भुमि का नामान्तरण खोलने की बातकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीया व उसके पुत्रों के नाम में अमीत व नाबालिंग होना दर्ज कराया गया था। लेकिन राजस्व कर्मचारी ने अपनी गलती करके खोले गए नामान्तरणकरण में अनिल बालिंग होना दर्ज कर दिया गया है। वादीया ने नामान्तरणकरण की प्रति परत निकलवाई तो पता चला की नामांतरणकरण के समय ही राजस्व कर्मचारीयों ने भूलवंश वादीया के पुत्र अमीत नाबालिंग का नाम अंकित नहीं कर अनिल बालिंग अंकित किया गया है।

क्रमशः पेज 2 पर

ऐसे में वादीया ने प्रतिवादी व राजस्व कर्मचारी से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही लेकिन अब तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। राजस्व कर्मचारी से निवेदन कर रिकॉर्ड दूरस्त करने की बात की लेकिन रिकॉर्ड दूरस्त नहीं किया गया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो वाद म्याद अवधि मे पेश है।

जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक हैकि प्रतिवादी वादीया के पुत्र अमीत पिता लसु पारगी को मात्र राजस्व कर्मचारीयों की गलती के आधार पर वादग्रस्त आराजी वादीया के पुत्र को मात्र राजस्व कर्मचारीयों की गलती के आधार पर वादग्रस्त आराजी ग्राम भादर में खाता संख्या 927, खसरा नम्बर क्रमशः 112 खेत किता 1 कुल रकबा 1.5297 हैक्टेयर में 1/32 हिस्सा से बेदखल न करे। इन्द्राज दुरस्ती ग्राम भादर में खाता संख्या 927, खसरा नम्बर क्रमशः 112 खेत किता 1 कुल रकबा 1.5297 हैक्टेयर में 1/32 हिस्सा में वादीया के पुत्र अनिल नाम गलत दर्ज कर दिया जिसे हटाकर अमीत का नाम के साथ नाबालिंग का अंकन कर वादीया के पुत्र अमीत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस प्रकार वादीया ने वाद प्रस्तुत कर उक्त दाद चाही है। जिसके बाद वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। जिस पर प्रतिवादी तहसीलदार से पटवारी भादर को जांच रिपोर्ट भिजवाने पत्र भेजा गया। जिसमें वादीया के पुत्र अनिल नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जावे। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में पेशी को भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी तहसीलदार का जवाब बंद कर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया उक्त वादग्रस्त भुमि वादी के कब्जे काश्त की रिकॉर्डडेड खातेदारी आराजी वादीया व उसके नाबालिंग पुत्र अमीत पिता लसु पारगी के कब्जे में काश्त की रिकॉर्डडेड खातेदारी आराजी ग्राम भादर में खाता संख्या 927, खसरा नम्बर क्रमशः 112 खेत किता 1 कुल रकबा 1.5297 हैक्टेयर में 1/32 हिस्सा होकर स्थित है। जिस पर वादीया का कब्जा होकर खेती का कार्य किया जा रहा है। और अब वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादीया का यथावत रूप से बना हुआ है। वादीया ने अपने कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर लोन लेने हेतु वादीया ने खाते की जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की पति लसु की मृत्यु के पश्चात हाल जमाबन्दी में वादीया व उसके पुत्र अमीत, मुकेश, महिपाल पिता लसु का नाम दर्ज किया जाना था। लेकिन वादीया के पुत्र अमीत के नाम स्थान पर अनिल बालिंग दर्ज कर दिया है। जबकि वादीया ने अपने पति के मृत्यु के पश्चात कृषि भुमि का नामान्तरण खोलने की बातकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीया व उसके पुत्रों के नाम में अमीत व नाबालिंग होना दर्ज कराया गया था। लेकिन राजस्व कर्मचारी ने अपनी गलती करके खोले गए नामान्तरणकरण में अनिल बालिंग होना दर्ज कर दिया गया है। जबकि अनिल पिता लसु पारगी नाम का कोई पुरूष नहीं है। ऐसे में राजस्व रिकार्ड में वादीया के पुत्र अनिल बालिंग के नाम स्थान पर अमीत नाबालिंग दर्ज कर संशोधित किया जावे।

क्रमशः पेज 3 पर

ऐसे वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे। हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज हाल जमाबंदी, पहचान दस्तावेज जनआधार कार्ड, मार्कशीट, आधार कार्ड की प्रति पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें वादीया व उसके नाबालिंग पुत्र अमीत पिता लसु पारगी के कब्जे में काश्त की रिकॉर्डडेड खातेदारी आराजी ग्राम भादर में खाता संख्या 927, खसरा नम्बर क्रमशः 112 खेत किता 1 कुल रकबा 1.5297 हैक्टेयर में 1/32 हिस्सा में वादीया के पुत्र अनिल बालिंग के नाम स्थान पर अमीत नाबालिंग दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझता है।

आदेश

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भादर में खाता संख्या 927, खसरा नम्बर क्रमशः 112 खेत किता 1 कुल रकबा 1.5297 हैक्टेयर में 1/32 हिस्सा में वादीया के पुत्र अनिल बालिंग के नाम स्थान पर अमीत नाबालिंग दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा